भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *170
19.12.2022 को उत्तर के लिए

धूल कम करने संबंधी उपायों की निगरानी

***170. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के तहत अधिदेश के अनुसार धूल को कम करने से संबंधित उपायों का अनुपालन न किए जाने के बढ़ते मामलों का संज्ञान लिया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट हवा में फैलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीएक्यूएम के तहत क्षेत्रों में सिविल भवनों के निर्माण, उनकी री-मरम्मत और उन्हें ध्वस्त किए जाने की निगरानी किस तरीके से की जा रही है;

(घ) धूल को कम करने से संबंधित उपायों के अनुपालन के लिए सीएक्यूएम के तहत क्षेत्रों में पिछले छह माह में किए गए फील्ड दौरों या निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) धूल को कम करने संबंधित उपायों के अनुपालन की निगरानी और सूचना दिए जाने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र बनाने के संबंध में प्रगति की स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'धूल कम करने संबंधी उपायों की निगरानी' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा दिनांक 19.12.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *170 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे निर्माण एवं विध्वंस कार्यकलापों तथा अवसंरचना विकास से उत्पन्न होने वाली धूल इस क्षेत्र में कुल मिलाकर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारकों में से एक है। तदनुसार, यह सेक्टर केंद्रीय सरकार तथा एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग (सीएक्यूएम) के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। सीएक्यूएम ने विभिन्न कानूनों नामत: निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के तत्संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अलावा धूल उपशमन के उपयुक्त उपायों के लिए सांविधिक निदेश, परामर्शिकाएं और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीएक्यूएम को अधिदेशित वायु प्रदूषण (धूल प्रदूषण) को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न उपायों का अनुपलान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा सीएक्यूएम और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों, एनसीटी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ग) से (ड.): सीएक्यूएम के पास एनसीआर में इस सेक्टर में धूल उपशमन उपायों के अनुपालन की दिशा में विस्तृत निगरानी तंत्र और प्रणाली है। सीएक्यूएम द्वारा गठित उड़न दस्ते/निरीक्षण दल निर्माण एवं विध्वंस परियोजना स्थलों का औचक निरीक्षण करते रहे हैं। इसके अलावा, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों /डीपीसीसी और संबंधित राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। साथ ही, सीएक्यूएम के सांविधिक निदेशों के तहत, एनसीआर में सड़कों पर स्वामित्व रखने वाली/उनका अनुरक्षण करने वाली भिन्न-भिन्न एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यकलापों से होने वाले धूल प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन के लिए 60 'धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ' (डीसीएमसी) स्थापित किए गए हैं (एनीसीटी दिल्ली-11, उत्तर प्रदेश-18, हरियाणा-17 और राजस्थान-14)।

जुलाई-दिसंबर, 2022 के बीच की अवधि के दौरान, निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं, सड़क निर्माण/पुनर्निर्माण परियोजनाओं जैसे विभिन्न सेक्टरों में सीएक्यूएम द्वारा गठित उड़न दस्तों द्वारा लगभग 3725 क्षेत्र निरीक्षण कराए गए हैं। जुलाई-दिसंबर, 2022 के दौरान निर्माण एवं विध्वंस सेक्टर में किए गए ऐसे निरीक्षणों में, 94 परियोजनाओं, जो निदेशों/नियमों/दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए पाए गए, को स्थलों पर कार्य बंद करने के निदेश जारी किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं और निवारक एवं सुधारात्मक उपायों के उचित अनुपालन के उपरांत ही फिर से शुरू किया जाएगा।

आयोग के सांविधिक निदेशों के तहत, एनसीआर में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर स्थित सभी परियोजनाओं को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा एनसीटी दिल्ली में संबंधित समर्पित वेब-पोर्टल पर पंजीकृत होना तथा विभिन्न निर्धारित उपायों के स्वयं अनुपालन को प्रमाणित करना आवश्यक है। निरीक्षण एजेंसियों द्वारा संबंधित वेब-पोर्टलों के माध्यम से अनुपालनों की दूरस्थ निगरानी में सुविधा के लिए परियोजना स्थलों की वीडियों-फेंसिंग भी आवश्यक है। एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी में ऐसे पोर्टल विकसित किए जा चुके हैं और संचालित हैं।

*****